संख्या-65/2020/1790/छप्पन-2020-40/2017

प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 01 अक्टूबर, 2020

विषय: राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0पी0 के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कैप्टन अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 से 16 अक्टूबर, 2020 तक मेसर्स सी0ए0ई0, दुबई की ट्रेनिंग फैसिलिटी में रिकरेन्ट ट्रेनिंग कराये जाने हेतु विदेश यात्रा की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-214/ना0उ0नि0/आप्स-ए0के0/2016, दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में कैप्टन अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) को राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0पी0 के सिमुलेटर पर रिकरेन्ट ट्रेनिंग मेसर्स सी0ए0ई0, दुबई में अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 से 18 अक्टूबर, 2020 तक (यात्रा दिवसों, प्रलेखन अवधि, अवकाश दिवस सम्मिलित करते हुए) कराये जाने के लिये विदेश यात्रा की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उपर्युक्त विदेश प्रशिक्षण की अवधि में कैप्टन अरूण कुमार को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-दो से चार के मूल नियम 9(6बी)(1) के अन्तर्गत ड्यूटी पर माना जायेगा तथा उक्त अवधि में उन्हें मूल नियम-20 के अन्तर्गत वही वेतन व भत्ता देय होगा, जो उन्हें अन्यथा मिलता, यदि उन्हें विदेश प्रशिक्षण आदि के लिए न भेजा जाता।

(2) प्रशिक्षण से पूर्व अथवा बाद में सम्बन्धित अधिकारी को कोई कार्य भार ग्रहण काल नहीं दिया जायेगा, परन्तु विदेश में गन्तव्य स्थान पर जाने, वहां से भारत वापस लौटने में व्यतीत हुआ उचित समय प्रशिक्षण/ विदेश यात्रा काल का अंश माना जायेगा।

(3) कैप्टन अरूण कुमार को भारत से दुबई एवं भारत की वापसी की हवाई यात्रायें नियमानुसार उन्हें अनुमन्य श्रेणी में करनी होगी और उन्हें वही यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा, जो भारत सरकार के समान वेतन पाने वाले अधिकारियों को समान परिस्थितियों में भारत सरकार के नियमों एवं आदेशों के अधीन अनुमन्य है।

(4) कैप्टन अरूण कुमार को अपनी तैनाती के स्थान से भारत में हवाईअड्डे तक जाने तथा वापसी की यात्रा में भारत के हवाईअड्डे से अपनी तैनाती के स्थान तक के लिए की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में उन पर लागू होने वाले नियमों के अधीन सामान्य शर्तों एवं दरों पर ग्राह्य यात्रा भत्ता देय होगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) विदेश में किये गये अवस्थान (हाल्ट) और वहां की यात्राओं के लिए उन्हें दैनिक भत्ता/ यात्रा भत्ता उन दरों पर देय होगा, जिन दरों पर भारत सरकार के समान वेतन पाने वाले अधिकारियों को समान परिस्थितियों में भारत सरकार के नियमों/ आदेशों के अधीन अनुमन्य है।

(6) विदेश यात्रा हेतु स्वीकृत धनराशि का समायोजन वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गये विदेश यात्राओं से सम्बन्धित शासनादेशों के तहत किया जायेगा। आहरित धनराशि के अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) विदेश यात्राओं/ फर्म को भुगतान की गई धनराशि एवं स्वीकृत धनराशि के समायोजन का प्रमाण-पत्र शासन को भी प्रेषित किया जाय।

3- उक्त विदेश यात्रा पर संनिहित व्यय की स्वीकृति पृथक से जारी की जा रही है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: जी-1-236यू0ओ0/दस-2020, दिनांक 23.09.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

संख्या-65/2020/1790(1) /छप्पन-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2 वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार /इकोनॉमिक अफेयर्स, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलट।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।